

वर्ष के प्रारम्भ में विभिन्न विभागों से पदेन (प्रोफार्मा) पदोन्नति के 36 प्रकरण लंबित थे । वर्ष के दौरान 163 प्रकरण आयोग की सहमति के लिये प्राप्त हुए । इस प्रकार आयोग के निर्णय के लिये कुल 199 प्रकरण थे । आयोग द्वारा प्रतिवेदनाधीन वर्ष में 163 प्रकरण निपटाये गये जिसका विवरण परिशिष्ट-16 में दिया गया है ।

2/ लंबे समय तक शासन द्वारा गोपनीय चरित्रावलियाँ वरिष्ठता सूची अथवा वरिष्ठता निर्धारण संबंधी आदेश उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रकरणों के निपटारे में विलंब हुआ । संबंधित विभागों से लंबे अंतराल के बाद भी वांछित जानकारी/ अभिलेख अदि उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण आयोग को विवश होकर 01 प्रकरणों को नस्तीबद्ध करना पड़ा । जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-17 में दिया गया है ।

3/ शेष 35 प्रकरण लंबित रहे उनमें गत वर्ष के लंबित 02 प्रकरण एवं प्रतिवेदनाधीन वर्ष में प्राप्त 33 प्रकरण हैं । ये सभी प्रकरण शासन से जानकारी प्राप्त न होने के कारण लंबित रहे, जिसका विवरण परिशिष्ट-18 में दिया गया है ।

4/ न्यायालयीन निर्णयों के परिणामस्वरूप पदोन्नति के लिये आयोजित समीक्षा बैठकों की जानकारी परिशिष्ट -19 में दी गई है ।